

- अनुमति की शर्तें ।**
- (i) उक्त भवन/पुस्तकालय के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व शिवाज नहीं करती है ।
 - (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्याजिक, राजस्व, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी व्यक्ति/पक्ष के लिए उत्तरदायी होगा ।
 - (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
 - (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिड्की केवल सामाजिक प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक: 857 दिनांक: 13/1/2024

पार्थीसा सायर कंवर जी 010 की पदम सिंह राजपुरोहित ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 प. 210 = 229 क्रमांक नैडरू नगर द्वारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 57,22/- पमा जरिये रसीद संख्या 909/9163, 9164 दिनांक 13/1/2024 को जमा करा दी है ।

एकल खिड्की केवल सामाजिक प्रयोजनार्थ

दिनांक 20/1/2024

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

दक्षिण

सायर कंवर

9001894850

जी+1
सामाजिक